



उत्तर प्रदेश शासन
औधोगिक विकास अनुभाग-4
संख्या- 122/ 77-4-15-129एल14
लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के 14 जनपदों के मध्य से गुजरने वाली जगदीशपुर, हलिदया नेचुरल गैस पाइप लाइन के त्वरित गति से निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति एतद्वारा गठित की जाती है, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:-

- (1) मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन अध्यक्ष
 - (2) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औधोगिक विकास विभाग सदस्य
 - (3) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग सदस्य
 - (4) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग सदस्य
 - (5) प्रमुख सचिव, वन विभाग सदस्य
 - (6) प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग सदस्य
 - (7) प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग सदस्य
 - (8) सम्बन्धित मण्डलायुक्त सदस्य
 - (9) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी सदस्य
2. उक्त समिति का कार्य क्षेत्र निम्नवत होगा:-
- (1) स्थायी भूमि अधिग्रहण।
 - (2) वन, नदी एवं अन्य पर्यावरण संस्थानों की अनुमति।
 - (3) यूपीएसआईडीसी के औधोगिक क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने के लिए सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स।
 - (4) रेवेन्यू मैन पावरयोग्य प्राधिकारी की प्रतिनियुक्ति।
 - (5) परियोजना को स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय सहयोग।
 - (6) लखनऊ में क्षेत्रीय गैस मैनेजमेंट सेण्टर (आर.जी.एम.सी.) स्थापित किये जाने हेतु 02 एकड़ भूमि का आवंटन।
3. उक्त समिति से सम्बन्धित समन्वय का कार्य औधोगिक विकास विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 122(1)77-4-15-129एल/ 14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
10. निदेशक (प्रोजेक्ट) गेल (इण्डिया) लि0, 16, भीकाएजी, कामा प्लेस, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली-110066।
11. गार्ड फाइलबेवसाइट।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।